

मामली लक्ष्मीपुरा से पटपड़ी रोड़ गजट नोटिफिकेशन

633 (452)

राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 17, 1994

भाग 1 (ब)

जयपुर, अगस्त 7, 1993

संख्या एप 2 (75) वन /93:- चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन-भूमि तथा बंजर-भूमि में अधवा उस पर सरकार के और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उसका अभिलेखन राज-स्थान वन अधिनियम, (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) की धारा (29) की उप-धारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञापित संख्या एक 7 (216) रा. के./66 दिनांक 4-1-67 के अनुसार में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय 4 के अनुबन्ध, पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि पर लागू हों जो कि एतदपश्चात् रक्षित वन कहलाया जावेगा।

अनुसूची

वन खण्ड मामली जमींदारा भाग 1 से 3 रेंज नाहरगढ़

जिला	तहसील	वन-खण्ड	मोजा	क्षेत्रफल वनखण्ड या मोजा एकड़ों में			विशेष विवरण
				स. नं.	बीघा	बिस्वा	
1	2	3	4	5	6	7	8
कोटा	किशनगंज	मामली जमींदारा भाग 1	मामली	1	44	13	एकड़ 11-76
				2	26	17	
				6	79	17	
				7	27	03	
				8	28	15	
				9	65	05	
				8/236	4	15	
				8/238	1	01	
				9/239	3	03	
				9	291	18	
कोटा	किशनगंज	मामली भाग 3	जमींदारा मामली	12	94	08	एकड़ 13-56
				13	152	11	
				14	94	09	
				3	341	8	
कोटा	किशनगंज	मामली भाग 3	जमींदारा मामली	101	143	05	एकड़ 427-76
				102	256	05	
				103	59	12	
				104	101	06	
				108	14	09	
				110	3	04	
				111	94	07	
				112	40	05	
				114	7	07	
				142	7	15	
				153	15	18	
				204	54	10	
				209	87	05	
				210	15	18	
				220	92	13	
				221	72	18	
				11/240	1	13	
				12/244	1	04	
				18	1069	8	

संख्या अधवा उस पर :
वन अधिनियम,
विज्ञापित संख्या 1

अतः :
एतद्द्वारा घोषित
जो कि एतदपश्चात्

वनखण्ड-सूचिका का

जिला	र
1	

कोटा

कोटा

संख्या प. 2(
पर सरकार के और
नियम (1953 का
संख्या 17882 एक

अतः अब
सरकार एतद्द्वारा
लागू होगे जो कि

वनखण्ड-

जिला	र
1	
कोटा	

जयपुर, दिनांक २६/१२/६६

संख्या एफ. ७ (२०३) रा. क./६६:—चूंकि इसके बाद संलग्न अनुसूची में समझिष्ट वन-भूमि तथा वन-भूमि पर सरकार के शीर प्राथमिक व्यक्तियों के अधिकारों के द्वारा तथा सीमा की ओर और उनका भी राजस्वान वन अधिनियम, १९५३ (राजस्वान अधिनियम संख्या १३) की धारा २६ की उपधारा ३ के अंतर्गत में गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा २६ की उपधारा १ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के द्वारा एतद्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय ४ के अनुबन्ध, पूर्वोक्त वन-भूमि और वन-भूमि पर लागू जो कि एतद्वारा रक्षित वन कहलाया जावेगा।

विस्तृत विवरण

मन्त्रालय भोपवा कुर्जनपुरा, रोजन नाहरगढ़

क्रमांक	विकास	पट्टी या वन-खण्ड	मोजा	क्षेत्रफल वन-खण्ड या मोजा (एकड़ों में)			विशेष विवरण
				समस्त नं०	दी०	दि०	
५०२१	किशनगंज	—	प्रायः गोददा	१	१०८	१०	
				२	१३२	१	
				३	२०६	२	
				४	१०१	१४	
				५	२०५	००	
				६	११५	१५	
				७	२०२	१४	
				८	११	०	
				९	५	१४	
				१०	२०२	०	
				११	१७५	१५	
				१२	१४१	०	
				१३	२	५	
				१४	३१	१३	
				१५	३७	१०	
				१६	८३	१५	
				१७	८३	१५	
				१८	१२५	००	
				१९	१४६	५	
				२०	१२५	००	
				२१	१५६	५	
				२२	५०	१०	
				२३	४८	१५	
				२४	१५०	००	
				२५	७५	००	
				२६	५१	१५	
				२७	१	१५	
				२८	१४	५	
				२९	२५	५	
				३०	५४	१६	
				३१	७०	१३	
				३२	७०	१३	
				३३	७०	१३	
				३४	७०	१३	
				३५	७०	१३	
				३६	७०	१३	
				३७	७०	१३	
				३८	७०	१३	
				३९	७०	१३	
				४०	७०	१३	
				४१	७०	१३	
				४२	७०	१३	
				४३	७०	१३	
				४४	७०	१३	
				४५	७०	१३	
				४६	७०	१३	
				४७	७०	१३	
				४८	७०	१३	
				४९	७०	१३	
				५०	७०	१३	
				५१	७०	१३	
				५२	७०	१३	
				५३	७०	१३	
				५४	७०	१३	
				५५	७०	१३	
				५६	७०	१३	
				५७	७०	१३	
				५८	७०	१३	
				५९	७०	१३	
				६०	७०	१३	
				६१	७०	१३	
				६२	७०	१३	
				६३	७०	१३	
				६४	७०	१३	
				६५	७०	१३	
				६६	७०	१३	
				६७	७०	१३	
				६८	७०	१३	
				६९	७०	१३	
				७०	७०	१३	
				७१	७०	१३	
				७२	७०	१३	
				७३	७०	१३	
				७४	७०	१३	
				७५	७०	१३	
				७६	७०	१३	
				७७	७०	१३	
				७८	७०	१३	
				७९	७०	१३	
				८०	७०	१३	
				८१	७०	१३	
				८२	७०	१३	
				८३	७०	१३	
				८४	७०	१३	
				८५	७०	१३	
				८६	७०	१३	
				८७	७०	१३	
				८८	७०	१३	
				८९	७०	१३	
				९०	७०	१३	
				९१	७०	१३	
				९२	७०	१३	
				९३	७०	१३	
				९४	७०	१३	
				९५	७०	१३	
				९६	७०	१३	
				९७	७०	१३	
				९८	७०	१३	
				९९	७०	१३	
				१००	७०	१३	

(11)

राजस्थान राज-पत्र, फरवरी १३, १९६६

५४

१३४

किसानगंज

सखराई

१७	३२४	१८
१८	२७१	५
१९	११०	१५
२०	१२५	००
२१	१३२	१३
२२	१३०	१३
२३	२	२
२४	५०	१३
२५	३०	६
२६	१३	६
२७	१२	६
२८	१५	१४
२९	१४	००
४०	४०	१६

योग ३० २८६५ १७ (एकड़ ११५८.३४)

गैलपुरा]

२१	०	१५
२२	७८	१६
२३	०	१७
२७	५२	५
२८	५	५

योग... ५ १३७ १८ (एकड़ ५५.१६)

लक्ष्मीपुरा
उर्फ धड़ो

१	८	७
२	७१	१३
३	७५	००
४	४०	५
५	६५	००
६	२१	७
७	११	८
८	२५	५
९	१२५	००
१०	१२५	१०
११	१२	१३
१२	१८	६
१३	१००	००
१४	१५०	००
१५	२३	१३
१६	१६	००
१७	१५	१६
१८	१२५	००
२०	४५	००
२१	५	५
२२	१७	५
२३	३१	००
२४	१८	१३
२५	५६	३
२६	६५	१६
२७	६५	८

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/720-26

दिनांक:- 7 फरवरी, 2017

-: आदेश :-

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई भूमि के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 है० गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र क्रमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/5614-20 दिनांक 16.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट-अपार्ट) की गई है।

उप वन संरक्षक, बारां द्वारा पत्र क्रमांक एफ()एफ.सी.ए./उवस/14-15/16782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन करने की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/ 6528-29 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(266)राज.-3/14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियों को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न०	रकबा (है०)	भूमि की किस्म
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20	बंजड
			41	5.00	बंजड
			42	6.52	बंजड
			114	5.80	गैर मुमकिन बरडा
			115	9.58	गैर मुमकिन बरडा
			116	7.70	बंजड
			138	10.81	बंजड
			149	3.63	बंजड
			8 किता	62.24	
2		सोरसन	1175	19.76	गैर मुमकिन बरडा
			1173	19.15	गैर मुमकिन बरडा
			2 किता	38.91	
3		ताखा	368	2.25	गैर मुमकिन बरडा
		कुल योग	11 किता	103.40 है०	

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(डॉ. एस. पी. सिंह)
जिला कलक्टर

बारां

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/720-26

दिनांक:- 7 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।।

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां।
4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
5. तहसीलदार, अन्ता को भेजकर लेख है कि आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना भिजवावे।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारां।
7. रक्षित पत्रावली।

वन भूमि के एवज में से विभिन्न परियोजनाओं के लिये आवंटित भूमि का विवरण

वन भूमि के एवज में से विभिन्न परियोजनाओं के लिये आवंटित भूमि का विवरण			वन भूमि के एवज में आवंटित गैर वन भूमि का विवरण		
अंता/ताखा	खतबे नं.	रकबा (है.)	सड़क का नाम	आवंटित भूमि (है.)	शेष भूमि (है.)
	39	13.20	ऊनी केदार कुई से सिलोरा	3.9	
			भंवरगढ़ से रनवारी	2.5	
			गोरधनपुरा से काली माटी	2.98	
			गरडा से जैसवा	3.82	0.00
	41	5	गरडा जैसवा	0.16	
			करबाधाना से बमनगवां	4.84	0.00
	42	6.52	करबाधाना से बमनगवां	0.36	
			करवरी खुर्द से बामनदेह	4.2	
			रामगढ़ रोड से करवरी कलां लक्ष्मीपुरा	2	0.00
	114	5	रामपुर उपरेटी से ईसाटारी	2.97	
			ख्यावदा से हरिपुरा	2	
			नेहरूपुर से झिरी	0.83	0.00
	115	9.58	नेहरूपुर से झिरी	2.37	
			जलवाडा से किशनपुरा	2.96	
			खण्डेला से हलावनी	2.05	
			माधोपुरा जैतपुरा	2.2	0.00
	116	7.70	माधोपुरा जैतपुरा	1.4	
			एन.एच-76 से धुवां	2.55	
			ढिकोनिया तलावडा	3.75	0.00
	138	10.81	ढिकोनिया तलावडा	3.75	
			कदीली लाटखेडा	2.79	
			मामली लक्ष्मीपुरा पटपडी	1.14	
			बीन्दी रामपुर उपरेटी	2.68	0.45
अंता/ताखा	368	2.25	गोरधनपुरा से धट्टा	2.22	0.03
अंता/सोरसन	1175	19.76	एन.एच.90	8.913	
			केदारकुई से मुहाल	4.3	
			शाहाबाद राजपुर	4	2.547
	1173	19.15	कोटा धरनावदा	13.558	
			हिंगलोट से मदना खेडी	2.27	
			पाटरी भटगांव	1.50	
			बारां नाला	0.4273	1.3947

केवल नकल उपयोग के लिए

प्रपत्र सं. टी. १६ (II)
(द्वितीय विवरण १५)
२१. ११.१९६१ तक

Scanned by CamScanner



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26(बी)
(द्वितीय विभाग 153 ग)
पृष्ठ संख्या :- 1 of 1

ग्राम का नाम :- बिलेण्डी

सम्बत :- 2072 - 2075

पटवार हल्का :- मानपुरा

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- खजूरनाकला

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- अन्ता

खाता संख्या नया :- 78

जिला :- बारां

खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम/पिता का नाम

उप वन संरक्षक बारा (वन विभाग हेतु आरक्षित)

जाति निवास के पते सहित :-

नामा. 190

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा रोदण लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
✓ 39	13.2000	गै.मु.बरडा	13.2000	0.00		
✓ 41	5.0000	गै.मु.बरडा	5.0000	0.00		
✓ 42	6.5200	गै.मु.बरडा	6.5200	0.00		
✓ 114	5.8000	गै.मु.बरडा	5.8000	0.00		
✓ 115	9.5800	गै.मु.बरडा	9.5800	0.00		
✓ 116	7.7000	गै.मु.बरडा	7.7000	0.00		
✓ 138	10.8100	गै.मु.बरडा	10.8100	0.00		
✓ 149	3.6300	गै.मु.बरडा	3.6300	0.00		
कुल	8	62.2400	62.2400	0.00		
खसरे -						

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

प्रतिलिपि जारी करने की तिथि :- 06/06/2017

नामान्तरकरण अद्यतन दिनांक:- 26/10/2016



राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

जमाबन्दी (खेजड़/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र नं.-26(बी)
(द्वितीय नियम 153 ए)
पृष्ठ संख्या :- 1 of 3

ग्राम का नाम :- ताखा
पटवार हल्का :- मानपुरा
शु.अभि.नि.क्षेत्र :- खजूरनाबला
तहसील :- अन्ता
जिला :- बारां

सम्बत :- 2069 - 2072
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1
खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम/पिता का नाम
जाति निवास के पते सहित :-

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
4	0.9600	गे.मु.रास्ता	0.9600	0.00		* नागा. ग.: 232 - नि.दि.: 20/10/2014 - अन्य
44	0.0300	गे.मु.रास्ता	0.0300	0.00		गे.ख.न. 368/2.25 हे. भूमि वनविभाग हेतु आरक्षित
46	0.0100	गे.मु.चकूतरा	0.0100	0.00		हुई।
47	0.0100	गे.मु.मंदिर	0.0100	0.00		
49	0.2200	गे.मु.रास्ता	0.2200	0.00		
57	0.3200	गे.मु.नाला	0.3200	0.00		
60	0.0800	बारांनी तृतीय	0.0800	0.00		
65	0.1700	गे.मु.रास्ता	0.1700	0.00		
67	0.2700	गे.मु.नाला	0.2700	0.00		
69	0.1200	गे.मु.नाला	0.1200	0.00		
70	0.0900	गे.मु.रास्ता	0.0900	0.00		
78	0.1800	गे.मु.नाला	0.1800	0.00		
81	0.0800	गे.मु.नाला	0.0800	0.00		
83	0.1100	गे.मु.नाला	0.1100	0.00		
85	0.1600	गे.मु.नाला	0.1600	0.00		
86	0.0200	गे.मु.बरडा	0.0200	0.00		
87	0.0300	गे.मु.बरडा	0.0300	0.00		
95	0.2600	गे.मु.रास्ता	0.2600	0.00		
97	0.0500	गे.मु.शमशान	0.0500	0.00		
102	0.2000	गे.मु.नाला	0.2000	0.00		
103	0.2100	बारांनी2	0.2100	0.00		
105	0.3500	गे.मु.शमशान	0.3500	0.00		
114	0.3300	गे.मु.नाला	0.3300	0.00		
115	0.2200	बारांनी2	0.2200	0.00		
116/403	0.2000	बारांनी तृतीय	0.2000	0.00		
132	0.0800	गे.मु.रास्ता	0.0800	0.00		
139	0.0200	गे.मु.रास्ता	0.0200	0.00		
141	0.0200	गे.मु.रास्ता	0.0200	0.00		
143	0.0400	गे.मु.खलियान	0.0400	0.00		

राजीव कपूर
जय वन संरक्षक
बारां

संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा रोद्धा लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक
352	2.8900	गै.मु.बरडा	2.8900	0.00	
353	8.9300	गै.मु.बरडा	8.9300	0.00	
354	5.5000	गै.मु.बरडा	5.5000	0.00	
355	8.9300	गै.मु.बरडा	8.9300	0.00	
364	5.5000	गै.मु.बरडा	5.5000	0.00	
365	2.6400	गै.मु.बरडा	2.6400	0.00	
366	7.0600	गै.मु.बरडा	7.0600	0.00	
367	2.9500	गै.मु.बरडा	2.9500	0.00	
368	2.2500	गै.मु.बरडा	2.2500	0.00	
369	12.5500	गै.मु.बरडा	12.5500	0.00	
कुल 80	81.4400		81.4400	0.00	
खसरे -					

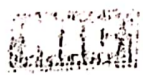
* वर्तनी शुद्धि हेतु उक्त नामान्तरण जाँच प्रक्रिया में है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

प्रतिलिपि जारी करने की तिथि :- 06/06/2017

नामान्तरकरण अद्यतन दिनांक:- 13/10/2016



राजेश कपूर
उप वन संरक्षक
बाराँ